



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2092]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2010/आश्विन 15, 1932

No. 2092]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2010/ASVINA 15, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2452(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम गन्ना (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2010 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 2 में उप-खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाएगा; अर्थात् :-

“(ग) “कारखाना” से अभिप्रेत कोई परिसर है जिसमें ऐसा आहाता सम्मिलित है जिसके किसी भाग में निर्वात पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी का विनिर्माण किया जाता है और उसके अपने विकल्प पर या तो कच्ची सामग्री के रूप में सीधे गन्ने के रस से अथवा बी-भारी शीरे सहित शीरे से या दोनों से, यथास्थिति, इथनाल का विनिर्माण किया जाता है किन्तु इसमें स्टान्डालोन शुगर रिफाइनरी सम्मिलित

नहीं है जिसमें चीनी के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री के रूप में केवल कच्ची चीनी का उपयोग किया जाता है ।’

[फा. सं. 3-4/2009-एसपी-II]

अधीर झा, निदेशक

टिप्पण :-मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 1126/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 16 जुलाई, 1966 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :-

1. सा.का.नि. 35/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 5-1-1967;
2. सा.का.नि. 1951/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 17-10-1967;
3. सा.का.नि. 945/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 18-5-1968;
4. सा.का.नि. 1456/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 2-8-1968;
5. सा.का.नि. 620(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 8-4-1973;
6. सा.का.नि. 402(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 25-9-1974;
7. सा.का.नि. 542(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 27-1-1975;
8. सा.का.नि. 492(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 12-9-1975;
9. सा.का.नि. 484(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 26-7-1976;

10. सा.का.नि. 799(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 13-9-1976;
11. सा.का.नि. 815(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 24-9-1976;
12. सा.का.नि. 913(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 9-2-1976;
13. सा.का.नि. 62(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 2-2-1978;
14. सा.का.नि. 197(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 28-3-1978;
15. सा.का.नि. 427(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 3-7-1981;
16. सा.का.नि. 79(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 24-2-1982;
17. सा.का.नि. 695(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 9-9-1983;
18. सा.का.नि. 903(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 29-11-2000;
19. सा.का.नि. 113(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 20-2-2003;
20. सा.का.नि. 204(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 22-3-2004;
21. का.आ. 1940(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 10-11-2006;
22. का.आ. 1309(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 31-7-2007;
23. का.आ. 2198(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 28-12-2007;
24. का.आ. 2984(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 29-11-2008;
25. का.आ. 2665(अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 22-10-2009; और
26. का.आ. 33 (अ)/आवश्यक वस्तु/गन्ना, तारीख 7-1-2010 ।

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION**

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 7th October, 2010

S. O. 2452 (E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential

Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) (Second Amendment) Order, 2010

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966, in clause 2, for sub-clause (c), the following sub-clause shall be substituted namely:—

‘(c) “factory” means any premises including the precincts thereof in any part of which sugar is manufactured by vacuum pan process and at its own option, ethanol is manufactured, either directly from sugarcane juice as a raw material or from molasses, including B-Heavy molasses, or both, as the case may be, but does not include a stand alone sugar refinery which uses only raw sugar as raw material for manufacture of sugar.’

[F. No. 3-4/2009-SP. II]

ADHIR JHA, Director

Note :—The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. number 1126/Ess. Com./Sugarcane, dated 16th July, 1966 and was subsequently amended, *vide* number:—

1. G.S.R. 35/Ess. Com./Sugarcane, dated 5-1-1967;
2. G.S.R. 1951/Ess. Com./Sugarcane, dated 17-10-1967;
3. G.S.R. 945/Ess. Com./Sugarcane, dated 18-5-1968;
4. G.S.R. 1456/Ess. Com./Sugarcane, dated 2-8-1968;
5. G.S.R. 620(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 8-4-1973;
6. G.S.R. 402(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 25-9-1974;
7. G.S.R. 542(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 27-1-1975;
8. G.S.R. 492(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 12-9-1975;
9. G.S.R. 484(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 26-7-1976;
10. G.S.R. 799(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 13-9-1976;
11. G.S.R. 815(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 24-9-1976;
12. G.S.R. 913(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 9-2-1976;
13. G.S.R. 62(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 2-2-1978;
14. G.S.R. 197(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 28-3-1978;
15. G.S.R. 427(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 3-7-1981;
16. G.S.R. 79(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 24-2-1982;

17. G.S.R. 695(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 9-9-1983;
18. G.S.R. 903(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 29-11-2000;
19. G.S.R. 113(E)/Ess./Com. Sugarcane, dated 20-2-2003;
20. G.S.R. 204(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 22-3-2004;
21. S.O. 1940(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 10-11-2006;
22. S.O. 1309(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 31-7-2007;
23. S.O. 2198(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 28-12-2007;
24. S.O. 2984(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 29-11-2008;
25. S.O. 2665(E)/Ess. Com./Sugarcane, dated 22-10-2009;
and
26. S.O. 33(E)/Ess./Com. Sugarcane, dated 7-1-2010;